प्ररूप–एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला राजनांदगांव
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :–

ज़िला	तहसील	ग्राम / कृषको की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	ग्राम– साल्हेकुसुमकसा, प.ह.नं. 01 / कृषकों की संख्या 01	1.168 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के पेन्दलकुही जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) <u>04.11.2019</u> को (समय) पूर्वान्ह <u>11.00 बजे</u> (स्थान) <u>ग्राम पंचायत भवन कुसुमकसा</u> पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण।	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के पेन्दलकुही जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	01
(तीन)	अप्रत्क्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
(पाच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या।	निरंक
(छ.)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है।	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत।	–
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ।	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक सामाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक।	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(जयप्रकाश मौर्य)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमशः 02 पर

पृ.क्रमांक /6944/ भू–अर्जन / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 10 / 10 / 2019

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।

2– अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला–राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण क्रमांक 21 अ–82 वर्ष 2017–18 सहित अग्रेषित।

3– नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्राणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग–1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग.राजपत्र में तथा दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करा कर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी, मोहला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी) जिला कार्यालय, राजनांदगांव को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन, राजस्व विभाग तथा जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

6– तहसीलदार, अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मोहला के सूचना पटल में किया जाकर ग्राम में मुनादी कराई जावे तथा नियत तिथि एवं समय में ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर सुनवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अंबागढ़ चौकी को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा किये जाने हेतु।

8– सचिव ग्राम पंचायत कुसुमकसा, विकासखंड अंबागढ़ चौकी, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित ग्राम में मुनादी कराई जावें। सुनवाई तिथि को आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

(जयप्रकाश मौर्य)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग